मु0नं0 426/2013

उनवानी श्रीचन्द बनाम अशोक वगै0

06.02.20 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान उपस्थित। आज पत्रावली में आदेश दिया जाना है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा गत खसरा नं0 151, 150 के मुताबिक मौके की सीम की यथास्थिति बनाये रखने व अप्रार्थी नं0. 5 गलत नक्शा सीट के मुताबिक भूमि नये खसरा नं0 154,153,90, मौजा महपालवास की नयी नक्शा सीट के मुताबिक कोई सीमाज्ञान या पत्थरगढ़ी न करावें के बाबत् प्रार्थना पत्र पेश किया गया। उक्त बिन्दू मूल दावें के निर्णय में ही तय किया जा सकता है न की प्रार्थना पत्र में । अतः प्रार्थी का न तो प्राईमाफेशी मामला प्रतीत होता है तथा न ही सुविधा संतुलन एवं अपूर्नीय क्षति का बिन्दु प्रार्थी के हक में जाता है। अतः प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता। अतः प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार व नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाब्ता मूल दावें के संलग्न रहें।

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Abhilasha
Date: 2021.08.06 15:43:29 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner